न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 114/2025
GCMS No.- 2025/168

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री खंगाराराम पुत्र श्री गणेशाजी, जाति देवासी, आयु वयस्क, निवासी पाडीव, तहसील व जिला सिरोही।		**राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही, तहसील व जिला सिरोही।**

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार।
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही।

–: राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: आदेश :– **दिनांक 02/02/2026**

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत किया, जिसका संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी के एकल खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि मौजा पाडीव, पटवार हल्का पाडीव, भु.अभि. निरीक्षक क्षेत्र पाडीव, तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसकी विगत निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	खाता सं.		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
	नया	पुराना			
1	992	1	3538/2794	0.8000 है.	कातरा 1
कुल किता 1 कुल रकबा 0.8000 है.					

उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त गत कई वर्षों से चली आ रही है। प्रार्थी के खसरा संख्या 3538/2794 से लगती हुई अन्य खातेदार की कृषि आराजी आई हुई है। प्रार्थी की उक्त आराजी के चारो ओर सीमा चिन्ह नहीं होने से पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करते रहते है जिससे हमेशा विवाद की स्थिति रहती है तथा प्रार्थी को परेशानियों का सामना करना पडता है। उक्त आराजी पर प्रार्थी ने अपने खातेदारी की कृषि आराजी का सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार को पेश किया गया था। प्रार्थी ने उस समय पटवारी हल्का से भी निवेदन किया कि वे नियमानुसार प्रार्थी की आराजी के चारो ओर से सीमाज्ञान कर पत्थर गढी करवा देवे, लेकिन उनके द्वारा विधि अनुसार सीमाज्ञान व पत्थर गढ़ी नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थर गढी किए जाने का निवेदन करने पर श्रीमान आपके न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लाने पर सीमा पर पत्थर गढ़ी करने हेतु कहा गया, जिस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का कारण बना हैं। प्रार्थी को अपनी आराजी की सीमाज्ञान करने का तथा सीमा को चिन्हित कर पत्थरगढी करवाए जाने का पूरा अधिकार है, जिससे कि प्रार्थी को अपनी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो सके एवं पडौसी खातेदार से किसी भी प्रकार का सीमा विवाद नहीं रहे। साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त कर सकेगा और प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सकेगा।

खंगाराराम बनाम स्टेट
रा.प्रा.प.संख्या 114/2025
GCMS No.- 2025/168

अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके की पैमाईश कर खसरे की सीमाज्ञान (नपाई) व उसकी सीमा पर सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) अंकित किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मौजा पाडीव के जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता संख्या 992 की प्रति का अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्ट्यां सहमत होने से दिनांक 17–07–2025 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। उक्त नोटिस अप्रार्थी को तामील होने के पश्चात अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिए क्रमांक/कोर्ट/2025/790 दिनांक 18–09–2025 के द्वारा प्रस्तुत जवाब को पत्रावली में दिनांक 24–09–2025 को शामिल मिसल किया गया। प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी स्टेट ने अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम पाडीव के खाता सं. 992 के अनुसार खसरा नं. 3538/2794 रकबा 0.8000 हैक्ट, प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। दिनांक 20.05.2023 को पटवारी हल्का, पाडीव द्वारा सीमाज्ञान हेतु संलग्न मौका फर्द अनुसार मौका जांच की गई थी। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के आस पास कोई स्थाई बिन्दु नही होने से पटवारी द्वारा सीमाज्ञान नहीं करवाया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान हेतु दिनांक 03.06.2025 व 25.06.2025 को गठित टीम द्वारा मौका जांच की गई, जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि के आस पास कोई स्थाई बिन्दु नही है एवं रेकर्ड एवं मौके की दूरी में अन्तर आ रहा है। तथा खातेदारों के कब्जे रेकर्ड अनुसार न होकर परस्पर विपरित है इस कारण सीमाज्ञान किया जाना संभव नही होने से सीमाज्ञान नही करवाया गया। अतः बिना सीमाज्ञान के पत्थरगढी किया जाना संभव नही है।

विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर इस न्यायालय में वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस करने से मेरे द्वारा अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार ने स्टेट के जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया।

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा पाडीव के जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता संख्या 992 खसरा संख्या 3538/2794 मौजा पाडीव, पटवार हल्का पाडीव रकबा 0.8000 हैक्टेयर, तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब का अवलोकन तथा वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के खसरा संख्या 3538/2794 व पडौसी खातेदारों के बीच विवाद के चलते, प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर की पत्थर गढी करवाना चाहता है जबकि प्रार्थी द्वारा पडौसी खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है ना ही प्रार्थी के खसरा संख्या 3538/2794 सीमाज्ञान करवाया गया है। सीमाज्ञान के अभाव में पत्थरगढी किया जाना उचित नही है।

खंगाराराम बनाम स्टेट
रा.प्रा.प.संख्या 114 / 2025
GCMS No.- 2025/168

अतः सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 02/02/26 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)